



कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/ १६० /टी०ए०डी०एम०/२०१८

इन्दौर, दिनांक २५/०५/२०१८

:: आदेश ::

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

अति०पु०अ०(मुख्यालय), जिला इन्दौर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक पुअ/जिविशा/इन्दौर/

2018(३९७) दिनांक 15/05/2018 द्वारा अवगत कराये गये अनुसार व अन्य माध्यमों से ध्यान में लाया गया कि इन्दौर जिले में सोशल मीडिया ऐसे क्लाट्सअप, फेसबुक आदि के माध्यम से असामाजिक तत्वों के कई समूहों द्वारा सामाजिक तानेबाने को तोड़ने, दो समुदायों के मध्य संघर्ष/वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश एवं चित्रों व वीडियो एवं आडियो मैसेज का प्रसारण किया जा रहा है तथा प्रसारण के माध्यम से एक स्थान पर एकत्रित होने एवं एक समुदाय के विरुद्ध वातावरण निर्मित करने जैसे संदेशों का प्रसारण हो रहा है। इससे इन्दौर की सामुदायिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक भावनाओं को उभारने एवं साम्प्रदायिक वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा अवगत कराये गये अनुसार व मीडिया आदि के माध्यम से यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि गया कि पिछले दिनों एक आपत्तिजनक Face book Post के कारण धार्मिक वैमनस्यता एवं उससे उपजित अशांति के कारण गंभीर लोक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी। कई बार विरुद्धित चित्र या आपत्तिजनक दृश्य वाट्स एप पर डालने से भी आम जन की भावानयें आहत होकर कई बार लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने की स्थितियां निर्मित हुई हैं। Face book, Whats App, Twitter आदि Social Internet Sites पर आपत्तिजनक सामग्री डालने पर उस पर होने वाली Comment/Like करने वाले पर किसी प्रकार दाण्डिक दायित्व अधिरोपित करने के प्रावधान उपलब्ध नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि आपत्तिजनक Post से उतनी वैमनस्यता का संचार नहीं होता है जितना कि उस पर आये Comment एवं Cross

-----2/

District Magistrate,
District - Indore (M.P.)

Comments के कारण होता है। Internet पर एक प्रकार “वैमनस्यता की अभिव्यक्ति” ऐसे Post के माध्यम से होती है जिस पर हर कोई बिना विचार किये एवं बिना किसी दायित्व के द्वेषपूर्ण एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग कर धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। इस प्रकार के Internet Social Media Wars अभी भी सक्रिय हैं जिनसे लोक व्यवस्था एवं सामाजिक शांति भंग हो सकती है।

गत दिनों के घटनाक्रम से स्पष्ट है कि Face book post एवं उस पर Comment/Likes, Whats App पर आपत्तिजनक साम्प्रदायिक Message एवं उनकी Forwarding, Twitter पर साम्प्रदायिक Message आदि से लोक शांति भंग करने में 'Proximate and direct nexus' रखते हैं। यह आचरण वर्तमान परिवेश में लोक व्यवस्था को भंग कर सकता है, इस आचरण से उपजी प्रतिक्रिया किसी व्यक्ति विशेष को अपराध कारित करने लिये उद्दीप्त(Incite) कर सकती है। इस प्रकार के आचरण तथा संभावित अवांछित परिणाम में निकटस्थ एवं प्रत्यक्ष संबंध विहित होकर इनका उपयोग अतिवादी संगठनों द्वारा विच्छिन्नीय(Disruptive) गतिविधियों के लिये किया जा सकता है। इन समस्त कारणों से मानव जीवन व लोक सम्पत्ति की क्षति संभावित है। इस तरह की गतिविधियों से जन सामान्य के स्वास्थ्य व जानमाल को खतरा आसन्न हो गया है तथा भविष्य में इन कारणों से लोकशांति भंग होने की प्रबल आशंकाएं व्याप्त हो रही है। अतएव इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

अतः मैं निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्डौर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु इन्डौर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्न लिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :-

इन्डौर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाक्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्देलित करने वाली फोटो/चित्र, Message करने पर, साम्प्रदायिक Message एवं उनकी Forwarding, Twitter, Face book, Whats App इत्यादि Social Media पर साम्प्रदायिक Message आदि करने से, Post पर



District Magistrate,
District-Indore (M.P.)

Comment करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है।

चूंकि यह आदेश जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व इससे सम्बन्धित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यक्ति व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के व्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा।

यह आदेश दिनांक 25/05/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं व्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया। उक्त आदेश दिनांक 26/05/2018 से दिनांक 20/07/2018 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।



(निशांत वरवडे)
कलेक्टर एवं,
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.
इन्दौर, दिनांक ५/०५/२०१८

क्रमांक / ११०१ /री.ए.डी.एम./ 2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी) विभाग, भोपाल।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज इन्दौर।
4. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर।
5. पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/ पूर्व/पश्चिम क्षेत्र, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
6. अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी क्षेत्र, इन्दौर



11/11/1941

.. 4 ..

7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पूर्व क्षेत्र / पश्चिम क्षेत्र / यातायात/ ग्रामीण क्षेत्र सम्बन्धित थानों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अग्रेषित ।
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खुड़ैल, कम्पेल, सौंविर, महू, देपालपुर, हातोद, सेन्ट्रल कोतवाली, विजय नगर, मल्हारगंज, राऊ, जूनी इन्डौर, संयोगितागंज, इन्डौर ।
9. एस ०३००० (पुलिस), महू, सौंविर, देपालपुर ।
10. नगर पुलिस अधीक्षक, सेन्ट्रल कोतवाली, संयोगितागंज, परदेशीपुरा, विजयनगर, जूनी इन्डौर, सराफा, मल्हारगंज, अञ्जपूर्णा, आजाद नगर, गांधी नगर, इन्डौर ।
11. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/ जिला विशेष शाखा, इन्डौर ।
12. थाना प्रभारी, थाना जिला इन्डौर की ओर अपने प्रभार क्षेत्र में उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित ।
13. निदेशक आकाशवाणी इन्डौर की ओर आदेश का प्रसारण हेतु अग्रेषित ।
14. अपर संचालक, जन सम्पर्क इन्डौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।
15. प्रभारी अधिकारी, एन ०३००० सी ०, कलेक्टोरेट, इन्डौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
16. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कब्दोल रुम इन्डौर ।

M.M.

कलेक्टर एवं,

जिला दण्डाधिकारी,

जिला इन्डौर.

District Magistrate,
District-Indore (M.P.)